

**वर्ष 2018-19 में समर्थन मूल्य पर सरसों/चना खरीद के
हैण्डलिंग / परिवहन कार्य हेतु ई-निविदा का (प्रारूप)**

क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०

जिला -

फोन०न०

ई-निविदा सूचना हैण्डलिंग/परिवहन कार्य

..... क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि० के माध्यम से समर्थन मूल्य पर सरसों/चना की खरीद के लिए हैण्डलिंग/परिवहन कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म(दिशा-निर्देश, शर्त एवं खरीद केन्द्रों की सूची) समिति से दिनांक तक मध्याह्न बजे तक 500 रु. नकद जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है

:-

ई-निविदा हैण्डलिंग/परिवहन कार्य

ऑन-लाईन निविदा फार्म मिलने की तिथि व समय	ऑन-लाईन निविदा फार्म जमा कराने की तिथि व समय	निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग फीस जमा कराने की तिथि,समय एवं तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय तथा कार्यालय का नाम	ऑन-लाईन वित्तीय बिड खोलने की तिथि व समय
दिनांक 19.03.2018 समय सुबह 10.00 बजे	दिनांक 26.03.2018 समय दोपहर 11.00 बजे तक	दिनांक 26.03.2018 समय दोपहर 12.00 बजे स्थान:- कार्यालय उपरजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हनुमानगढ	दिनांक 26.03.2018 समय दोपहर 1.00 बजे तक तकनीकी बिड दिनांक 29.03.2018 समय प्रातः 10.00 बजे वित्तीय बिड स्थान:-कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हनुमानगढ

किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निविदा कमेटी को होगा। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट sppp.raj.nic.in एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०
जिला -

विक्रय मूल्य 500.00 रु. (पाँच सौ रूपये)

निविदा वर्ष 2018-19

प्रथम-भाग

निविदा आमंत्रण

निविदा प्रार्थना पत्र की एक प्रति इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। निविदा भरने से पूर्व कृपया संलग्न निर्देशों एवं निबंधन शर्तों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। संलग्न प्रार्थना पत्र को निविदादाता द्वारा स्पष्ट रूप से भरकर तथा प्रत्येक पृष्ठ पर अपने या अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर करके लौटाया जाना चाहिए व यह निविदा प्रपत्र अपने पास रेकार्ड के लिए रखना चाहिए।

निविदा खोलने/प्राप्त करने की तिथि को अवकाश हो जाने की स्थिति में निविदाएँ निर्धारित तिथि के अगले कार्य दिवस को निर्धारित समयानुसार प्राप्त की जाएंगी/खोली जाएंगी।

अगर कोई निविदा निर्धारित समय एवं तारीख के पश्चात् प्राप्त हुई तो उस पर विचार नहीं किया जावेगा एवं बयाना राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक / नकद राशि के रूप में निविदा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं होगी तो उस निविदा पर भी विचार नहीं किया जावेगा। बयाना राशि मात्र डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद राशि के रूप में ही स्वीकार्य होगी।

जिस क्रय-विक्रय सहकारी समिति/क्रय केन्द्र के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उस केन्द्र के निविदादाता द्वारा 100.00 रूपए के नान-न्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का तस्दीक शुदा हल्फनामा निर्धारित प्रारूप में निविदा के साथ प्रस्तुत करेगा कि निविदादाता द्वारा प्रस्तुत हल्फनामा में अंकित सूचना सही है। संबंधित समिति व्यवस्थापक सत्यापन करने से पूर्व हल्फनामा में अंकित पते का सत्यापन कर लें।

समिति को अपने विवेक से निविदाओं की प्राप्ति तिथि तय करने / परिवर्तन करने का अधिकार होगा। निविदा फार्म सम्बन्धित क्रय विक्रय सहकारी समितियों से 500.00 रु. जमा करवाकर प्राप्त कर सकते हैं एवं राजफैड की बेबसाईट www.rajfed.gov.in एवं राज्य सरकार की बेबसाईट <http://sppp.raj.nic.in> से भी निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड वाले फार्म में निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा प्रपत्र के साथ फार्म की कीमत 500.00 रु. जमा करा सकते हैं। प्राप्त निविदाएँ निर्धारित कार्यक्रम अनुसार उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष संबंधित उप रजिस्ट्रार कार्यालयों

में खोली जावेगी। निविदा पत्र में दी गई प्रणाली एवं शर्तों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से दी गई शर्तें मान्य नहीं होंगी।

द्वितीय भाग

निविदादाताओं के लिए निविदा प्रपत्र भरने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश

1- निविदा के साथ निर्धारित बयाना राशि परिवहन/हैण्डलिंग कार्य के लिए मण्डी क्षेत्र के केन्द्र एवं गोण मण्डी हेतु 50000/- रु. (अखरे पचास हजार रु.) प्रति समिति की दर से डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/नकद राशि के रूप में संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति के पक्ष में जमा करानी आवश्यक है जिस पर निविदा के साथ निर्धारित बयाना राशि प्राप्त नहीं होगी उस पर विचार नहीं किया जावेगा।

सफल निविदादाता को बयाना राशि के अलावा परिवहन/हैण्डलिंग कार्य के लिए धरोहर राशि के रूप में मण्डी क्षेत्र के केन्द्र एवं गोण मण्डी हेतु 50000/- रु. (अखरे पचास हजार रु.) प्रति समिति की दर से डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/नकद राशि के रूप में संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति के पक्ष में जमा करानी आवश्यक है।

2- निविदादाता के लिए निविदा प्रस्तुत करते समय यह बताना आवश्यक है कि क्या वह एकाकी स्वामी व्यापार संस्था (सोल प्रोपार्टरी कन्सर्न), अविभक्त हिन्दू परिवार/भगीता सार्थ (पार्टनरशिप फर्म),राजस्थान सहकारी समिति, भारत में संस्थापित समिति, लोक समवाय (पब्लिक लिमिटेड कम्पनी) है। एकाकी व्यापार की सूरत में मालिक का नाम, अविभक्त हिन्दू परिवार की सूरत में कर्ता का नाम, भगीता सार्थ की सूरत में सभी भागीदारों के नाम,पते व उनकी अंश मात्रा, सहकारी समिति की सूरत में सहकारी समिति के संचालक मण्डल के संचालकों या प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम, कम्पनी की सूरत में संचालकों के नाम व उनकी अंश मात्रा ,जैसा भी हो, बताने होंगे।

3- निविदा एवं निविदा संबंधित अन्य प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के लिए यह बताना आवश्यक होगा कि वह किस अधिकार से हस्ताक्षर कर रहा है, यानि एकाकी स्वामी व्यापार संस्था के मालिक की हैसियत से अथवा अविभक्त हिन्दू परिवार के कर्ता की हैसियत से अथवा कम्पनी के सचिव/प्रबन्ध संचालक आदि की हैसियत से,भागीदारी संस्था की सूरत में सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होना, भागीदारी डीड की प्रति संलग्न करना आवश्यक है। अगर हस्ताक्षरकर्ता निविदा अथवा निविदा से संबंधित किसी भी दस्तावेज या किसी दूसरे व्यक्ति/संस्था के लिए हस्ताक्षर करता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने पक्ष में उचित एवं विधिवत निष्पादित किया गया मुखतारनामा (पावर ऑफ अटॉनी) जिससे कि अन्य सभी व्यक्ति /संस्था जिनके/जिसके लिये हस्ताक्षर किय गये है,अनुबंध से संबंधित सभी मामलों पर पंच निर्णय खण्ड से बाधित होते हों/होती है, प्रस्तुत करना होगा। यदि हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति बाद में उचित समय में ऐसा मुखतारनामा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो समिति बिना किसी दूसरे व्यवहारिक, दीवानी एवं फौजदारी (सिविल एण्ड क्रिमिनल) मामलों के उपाये के प्रतिकूल प्रभाव से अनुबंध को निरस्त कर सकता है और हस्ताक्षर करने वाले को लागत व हरजाने के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है। मुखतारनामा भागीदार संस्था की सूरत में सभी भागीदारों से हस्ताक्षरित होना चाहिए एवं सीमित दायित्व वाली कम्पनी की सूरत में कम्पनी की सामान्य मुद्रा (कॉमन सील) अंकित होनी चाहिए।

- 4- जहाँ निविदादाता भागीदार संस्था है, उस सूरत में नया भागीदार समिति की बिना किसी पूर्व एवं लिखित स्वीकृति के शामिल नहीं किया जावेगा। समिति द्वारा नये भागीदार की एक लिखित घोषणा पर जिसमें वह अनुबंध के निष्पादन एवं भागीदार संस्था द्वारा अनुबंध के अन्तर्गत किये गये घोषणा पत्र की तिथि के पूर्व सभी दायित्वों को स्वीकार करने का वचन देता है, भागीदारी स्वीकार की जा सकती है।
- 5- भागीदारी संस्था के किसी भागीदार की अनुबंध के पूर्ण निष्पादन के पूर्व मृत्यु अथवा निवृत्त होने पर समिति अपने विकल्प (आपशन) पर अनुबंध निरस्त कर सकता है, एवं ऐसी सूरत में अनुबंधकर्ता किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का समिति के विरुद्ध दावेदार नहीं होगा। यदि कोई नया भागीदार फर्म में लिया जाता है तो उसकी सूचना समिति को एक माह में देनी होगी।
- 6- यदि अनुबंध जैसा कि क्रम संख्या 5 में दिया गया है, निरस्त नहीं किया जाता है तो भी किसी भागीदार के अपनी संस्था से सेवानिवृत्त होने पर भी वह उस वक्त तक अनुबंध के अन्तर्गत संस्था से मुक्त नहीं होगा जब तक कि साझेदारी अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत दी गई सार्वजनिक सूचना (पब्लिक नोटिस) की प्रति रजिस्ट्री रसीद डाक द्वारा (रजिस्टर्ड पोस्ट अक्नोलेजमेंट ड्यू) समिति को नहीं भेजी जावेगी।
- 7- निविदा निर्धारित फार्म में जो इसके साथ संलग्न है, प्रस्तुत की जानी चाहिए। तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ पृथक-पृथक ई निविदा प्रस्तुत की जानी होगी। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 8- निविदा स्पष्ट व सही भरी जानी चाहिए। पैन्सिल से भरी गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा में कोई परिवर्तन अभिवृद्धि (एडीशन) नहीं किये जाने चाहिए। कोई उपरी लेखन (ओवर राइटिंग) नहीं होनी चाहिए। यदि कोई संशोधन अथवा शुद्धियाँ स्पष्ट करनी हों तो वह साफ होनी चाहिए तथा उन पर निविदादाता के लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। निविदा दरें एक ही स्याही से भरी जानी चाहिए।
- 9- निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वह केवल संलग्न निविदा प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से भरकर तथा निविदा और अनुबंध की समस्त शर्तों और प्रतिबंधों को मानने के प्रमाण में निविदा प्रार्थना पत्र के अंत में दिये घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करेंगे एवं यह पुस्तिका (आमंत्रण पत्र, आवश्यक दिशा-निर्देश व निबंधन एवं शर्तें तथा निविदा प्रपत्र) अपने पास ही रख लेंगे।
- 10- प्रत्येक समिति वार अलग-अलग परिवहन एवं हैण्डलिंग की निविदा दरें दी जानी चाहिए।
- 11- निविदाएँ संबंधित उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय में निर्धारित समय एवं तारीख को खोली जावेंगी। निविदादाता स्वयं अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि चाहे तो उपस्थित हो सकता है।

12— दरें उचित प्राप्त न होने की स्थिति में अधिकृत कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह निविदाएँ खोलने के दिन अथवा अन्य किसी निर्धारित तिथि पर दरों के संबंध में न्यूनतम (एल-1) निविदादाता से बातचीत (नेगोशियेशन) कर उचित दरें प्राप्त कर सकता है। ऐसी बातचीत

किसी भी तरह समिति को मूल दरें स्वीकार करने के अधिकार से वंचित नहीं करेगी। निविदादाता निविदा में अंकित मूल दरों एवं आपसी बातचीत द्वारा तय की गई दरें, जो भी कम हों, पर कार्य करने को बाध्य होगा। निविदा कमेटी द्वारा निविदादाता को साक्षात्कार एवं समझौते की आपसी बातचीत (नेगोशियेशन) हेतु किसी स्थान पर लिखित सूचना देकर बुलाया जा सकता है। इसके लिए निविदादाता को उप पंजीयक /सहायक पंजीयक कार्यालय पर बिना किसी उज्र(आब्लीगेशन) के एवं स्वयं के खर्चे पर आना होगा। यदि कोई निविदादाता आपसी बातचीत के लिये निर्धारित समय एवं स्थान पर अनुपस्थित रहेगा तो निविदा कमेटी द्वारा निविदादाता से बातचीत कर निर्णय लिया जावेगा तथा इस संबंध में अनुपस्थित निविदादाता की कोई आपत्ति (रिप्रेजेन्टेशन) मान्य नहीं होगी।

13— निविदा स्वीकृत कराने के लिए निविदादाता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से समिति के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पहुँच करना या किसी प्रकार की रिश्वत, प्रलोभन देना या देने का वायदा करना, फौजदारी दायित्व (क्रिमिनल लायबिलिटी) के अतिरिक्त निविदा प्रस्तुत करने के अयोग्य माना जावेगा।

14— निविदा स्वीकृत करना या निर्धारित शर्तों में छूट देना निविदा खोलने के लिये अधिकृत समिति के आबाधित स्वविवेक (एक्सोल्यूट डिस्क्रिशन) पर निर्भर होगा तथा निम्नतम दर की निविदा को स्वीकार न करने अथवा किसी भी निविदा को पूर्ण व आंशिक रूप से स्वीकार करने/रद्द करने तथा उसके संबंध में कोई कारण देने का कोई दायित्व नहीं होगा।

15— निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।

16— निविदा प्रार्थना पत्र में हैंडलिंग एवं परिवहन कार्य की दरें देने का तरीका :-

अ- परिवहन कार्य -

1— परिवहन की दरें प्रति क्विंटल/प्रति किलो मीटर में स्लेब के अनुसार देनी होगी। दरें अंकों में एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित की जावे। दरें प्रति क्विंटल/प्रति किलोमीटर अथवा अस्पष्ट दरों वाली अथवा कांट छांट वाली निविदाओं की दरें निरस्त की जावेगी। इसलिए यदि कोई कांट छांट हो तो दरें पुनः लिखकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करे।

2— यूनिजन दरों की निविदायें मान्य नहीं होगी।

ब- हैण्डलिंग कार्य -

लेबर की रेट प्रति कट्टा दी जावे । दरें अंकों में एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित की जावे। अस्पष्ट दरों वाली अथवा कांट छांट वाली निविदाओं की दरें निरस्त की जा सकती है। इसलिए यदि कोई कांट छांट हो तो दरें पुनः लिखकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करे।

17- अनुबंध यदि कोई अन्ततः इस निविदा से हो तो वह निविदा के आमंत्रण पत्र, शर्तों एवं प्रतिबंधों से प्रतिकूल नहीं है, के अनुसार विनियमित होगा।

18- यदि कोई निविदादाता समय पर उपस्थित नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में निविदा खोल दी जावेगी जिसके लिए बाद में उनके द्वारा दिए गए किसी प्रकार के रिप्रेजेन्टेशन/आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदाएं खोलने के बाद उचित दर नहीं आती है तो न्यूनतम दर एल-1 वाली निविदादाता से आपसी बातचीत कर दरें कम करायी जा सकेगी। इसके लिए निविदादाताओं को अपने स्वयं के खर्च पर सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

19- परिवहनकर्ता/हैण्डलिंग के बिलों से निर्धारित दर पर नियमानुसार टीडीएस आयकर की कटौती की जावेगी।

20- निविदादाता को निम्नानुसार तकनीकी/वित्तीय बिड हेतु दस्तावेज आवश्यक रूप से निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे :-

तकनीकी बिड हेतु -

- 1- परिवहन/हैण्डलिंग कार्य का एक वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र।
- 2- पेन कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जावे।
- 3- 100.00 रु. के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुसार घोषणा पत्र
- 4- ब्लेक लिस्टेड बाबत घोषणा पत्र प्रपत्र ए अनुसार ।
- 5- योग्यता सम्बन्धी घोषणा पत्र प्रपत्र बी अनुसार।
- 6- यदि परिवहनकर्ता / हैण्डलिंग एजेन्ट पार्टनरशिप फर्म है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस में रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि ।
- 7- बयाना राशि परिवहन/हैण्डलिंग कार्य के लिए मण्डी क्षेत्र के केन्द्र एवं गोण मण्डी हेतु 50000/- रु. (अखरे पचास हजार रु.) प्रति समिति की दर से डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/नकद राशि जमा की रसीद की स्केन प्रति।
- 8- निविदा प्रोसेसिंग फीस राशि 1000.00 रु. का डिमाण्ड ड्राफ्ट M.D. RISL Payable at Jaipur के नाम से देय ड्राफ्ट की स्केन प्रति।

वित्तीय बिड हेतु -

- 1- हैण्डलिंग एवं परिवहन की प्रस्तावित दर का विवरण।
- 21- माल की चुंगी/ टोल टैक्स /बहती आदि का पूर्ण खर्च परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।

22— निविदादाता द्वारा तकनीकी व वित्तीय बिड निविदा प्रस्तुत करनी होगी। क्रम संख्या 20 पर वर्णित दस्तावेज एवं एर्नेस्ट मनी का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक /नकद जमा राशि की रसीद नम्बर की स्केन प्रति संलग्न की जानी होगी । संलग्न निर्धारित प्रपत्र में परिवहन /हैण्डलिंग की दरें दी जानी होगी ।

तृतीय भाग

निबन्धन एवं शर्तें

सम्बन्धित मंडीं में समिति द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों/चना की खरीद, नेफेड के लिये अथवा भारत/राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किसी अन्य संस्था के लिये समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत हैंडलिंग/ट्रॉसपोर्टेशन कार्यों के लिये दिशा-निर्देश एवं शर्तें निम्नानुसार बाध्यकारी होगी :-

1-परिभाषाये :-

- 1- शब्द समिति 'से आशय क्रय-विक्रय सहकारी समिति से है।
- 2- क्रय-विक्रय सहकारी समिति, मंडी समिति, मंडी यार्ड क्रय केन्द्र, उप केन्द्र से आशय ऐसे स्थान से है जहाँ पर समिति द्वारा कृषि जिन्सों की खरीद की जावेगी।
- 3- शब्द 'निविदादाता का आशय हैंडलिंग/परिवहन एजेन्ट ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि अथवा अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता से है।
- 4- शब्द अनुबंधित दरों से आशय समिति द्वारा हैंडलिंग/परिवहन एजेन्ट की स्वीकृत दरों से है।
- 5- शब्द कार्य (ऑपरेशन) का आशय इस अनुबंध में वर्णित ऐसे सभी सहायक, अतिरिक्त प्रांसागिक कार्यों, सेवाओं और ऐसे कार्यों से है जो कि समय-समय पर समिति द्वारा निर्देशित किये जाये।
- 6- शब्द अनुबंध का आशय निविदा के आमंत्रण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ जारी दिशा निर्देश, शर्तों, शिड्यूल एवं स्वीकृत दरों के जारी नियुक्ति पत्र से है।
- 7- शब्द भण्डार गृह से आशय केन्द्रीय भण्डार व्यवस्था निगम/राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के भण्डार/ समिति द्वारा स्वयं के या किराये पर लिये गये गोदाम से है जिसका उपयोग कृषि जिन्सों के भण्डारण के लिये किया जायेगा।

2- उद्देश्य

1. हैंडलिंग/परिवहन एजेन्ट द्वारा निविदा में वर्णित सभी कार्यों एवं जहाँ कहीं आवश्यक हो अन्य सभी सहायक, अतिरिक्त एवं प्रांसागिक कार्यों जो कि अनुबंध के दिशा निर्देशों एवं शर्तों एवं शर्तों के प्रतिकूल नहीं है जो समिति द्वारा निर्देशित हो, को निष्पादित करना है।
2. निविदा अवधि में क्रय-विक्रय सहकारी समिति, मंडीयार्ड, क्रय केन्द्र अथवा वह चयनित स्थान जहाँ कृषि जिन्सों की खरीद की जायेगी, क्रय केन्द्र ही माने जायेंगे।

3- अनुबंध के पक्षकार :-

1- अनुबंध के पक्षकार हैंडलिंग/परिवहन एजेन्ट एवं समिति अथवा उसके लिए अन्य कोई भी प्राधिकृत अधिकारी होंगे।

2- किसी व्यक्ति/संस्था के लिये अनुबंध में हस्ताक्षर करने वाले दूसरे व्यक्ति को अनुबंध के अधीन पूर्णतः उत्तरदायी माना जायेगा। यदि यह पाया गया कि संबंधित व्यक्ति ऐसा कोई अधिकार नहीं रखता है तो समिति को यह अधिकार होगा कि बिना किसी दीवानी एवं फौजदारी

मामलें के अनुबंध को निरस्त कर सकता है और हस्ताक्षर करने वाले को लागतव हरजाने के लिये उत्तरदायी ठहरा सकता है।

3— अनुबंध के अधीन किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार अथवा नोटिस आदि समिति व हैंडलिंग एवं परिवहन एजेन्ट अथवा उनकी प्राधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया/दिया जावेगा।

4—अधिकार एवं सीमायें :

1— हैण्डलिंग / परिवहन कार्य :-

हैण्डलिंग / परिवहन एजेन्ट के अधिकारों की सीमा समिति द्वारा कृषि जिन्सों की खरीद के तुरन्त बाद मंडी संबंधित हैंडलिंग कार्यों एवं परिवहन संबंधित कार्यों की होगी अन्य किसी कार्य को करने का अधिकार हैण्डलिंग एवं परिवहन एजेन्ट को तब तक नहीं होगा जब तक कि अलग से उस कार्य को करने के लिए निर्देशित न कर दिया जावे।

2— सब लैटिंग :-

हैण्डलिंग / परिवहन एजेन्ट इस अनुबंध के किसी भी भाग को सबलैट एवं हस्तान्तरण, अभिहस्तांकन (असाईन) नहीं करेगा। हैण्डलिंग एवं परिवहन एजेन्ट के द्वारा इस शर्त के उल्लंघन करने पर सर्विस एजेन्ट की नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

3— कार्य का परिणाम (वाल्यूम ऑफ वर्क) :-

समिति हैण्डलिंग / परिवहन के कार्यकाल में अथवा किसी समय विशेष में कार्य की निश्चित मात्रा अथवा किसी विशेष प्रतिरूप सेवा के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। हैण्डलिंग / परिवहन एजेन्ट नियुक्त होने मात्र से उसका कोई ऐसा अधिकार नहीं होगा कि ऐसे किसी कार्य को अथवा सभी कार्यों को आवश्यक रूप से अथवा केवल मात्र उससे ही करवाये जावे। समिति को अनन्य (एक्सक्लूजिव) अधिकार होगा कि वह किसी कार्य विशेष अथवा अनुबंध में वर्णित सभी कार्यों के लिये एक अथवा एक से अधिक हैण्डलिंग / परिवहन एजेन्ट नियुक्त करे तथा समिति जैसा निश्चय करे कार्य को ऐसे हैण्डलिंग / परिवहन एजेन्टों के मध्य में बांटे। इस प्रकार कार्य के बंटवारे के कारण समिति के विरुद्ध कोई दायित्व नहीं होगा।

5—हैण्डलिंग / परिवहन एजेन्ट का दायित्व :-

1— हैण्डलिंग/परिवहन एजेन्ट को हैण्डलिंग/परिवहन के कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी, मजदूर एवं परिवहन के साधन रखने होंगे। अगर हैण्डलिंग / परिवहन एजेन्ट पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी, मजदूर परिवहन साधनों का समय पर प्रबंध नहीं कर सकेगा तो समिति को हैण्डलिंग / परिवहन एजेन्ट के खर्चे पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी, मजदूर एवं परिवहन साधनों का प्रबंध करने का अधिकार होगा। कृषि जिन्सों की खरीद की दृष्टि से अप्रैल से जून एवं अक्टूबर से दिसम्बर माह का समय अत्यधिक व्यस्त समय होता है। यहाँ पर्याप्त का मतलब है प्रतिदिन उर्पाजन के लिए आए हुए काश्तकार के माल के उससे लेने और उसे बोरियों में सीलने हेतु जितने मजदूर की आवश्यकता है, उसे उपलब्ध कराना।

2— हैण्डलिंग / परिवहन एजेन्ट के लिये आवश्यक होगा कि वह संबंधित सभी कार्य समिति अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार करेगा एवं अपने

कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी कार्य निष्ठा से इस प्रकार करेगा कि कृषि जिन्स बेचने वाले कृषकों, क्रेताओं को गोदामों में मण्डी संबंधित कार्यों के लिये किसी प्रकार की असुविधा अथवा हानि नहीं हो। हानि होने की स्थिति में वास्तविक हानि की राशि हैडलिंग एवं परिवहन एजेन्ट के बिलों में से समिति द्वारा काट ली जावेगी।

3— हैडलिंग/ परिवहन एजेन्ट के लिये यह भी अनिवार्य होगा कि वह समिति/मंडी निर्धारित हैडलिंग एवं परिवहन एजेन्ट स्वयं जिम्मेदार होगा। हैडलिंग एवं परिवहन एजेन्ट के लिए यह नियमों, उपनियमों का पालन करे। नियमों के उल्लंघन द्वारा हुये अपराध अथवा हर्जाने का होगा कि कृषकों/क्रेताओं से किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त नहीं करे।

4— हैडलिंग/परिवहन एजेन्ट के लिये यह भी अनिवार्य होगा कि क्रय केन्द्र पर जितनी मात्रा(नग एवं वजन) जो भी जिन्स प्राप्त करे उतनी ही मात्रा में भंडार गृह में जमा करवाये। कम जमा करवाये गये माल की कीमत लागत दर अथवा उसकी दुगुनी दर, जो भी अधिक हो, की दर से हर्जाना देना होगा।

5— हैडलिंग/परिवहन एजेन्ट द्वारा समिति के कार्य के नियुक्त कामगार/मजदूर/कर्मचारी आदि के लिए विभिन्न औद्योगिक अधिनियमों के अन्तर्गत यदि समिति पर कोई भी दायित्व आता है तो उसकी जिम्मेदारी हैडलिंग/परिवहन एजेन्ट की होगी। इन नियमों/अधिनियमों की पालना की जानकारी व सूचना समय-समय पर हैडलिंग/परिवहन एजेन्ट

द्वारा या समिति के मांगने पर देय होगी। अगर समिति पर किसी भी प्रकार से हैडलिंग एवं परिवहन एजेन्ट द्वारा नियुक्त कामगार/मजदूर / कर्मचारी का दायित्व विभिन्न श्रम या अन्य अधिनियमों के फलस्वरूप आता है तो वह राशि समिति हैडलिंग एवं परिवहन एजेन्ट के बिल/जमा राशि व अन्य किसी भी प्रकार से वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। मुख्यतया अधिनियम निम्न प्रकार से है :-

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

शॉप एण्ड कॉमशियल अधिनियम, 1958

श्रमिक (क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 1923

कर्मचारी भविष्य निधि (विविध) प्रावधान अधिनियम, 1952

मातृत्व लाभ अधिनियम ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972

वेतन भुगतान अधिनियम एवं न्यूनतम वेतन भुगतान अधिनियम

कर्मचारी बीमा अधिनियम

राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सूचनाएँ/अधिसूचनाएँ आदि

6—हैडलिंग / परिवहन एजेन्ट की व्यवस्थाएँ :-

हैडलिंग/परिवहन एजेन्ट जिस केन्द्र पर नियुक्त होगा, उन केन्द्रों पर वह स्वयं के खाते में उन जिन्सों की खरीद नहीं करेगा जिनकी खरीद क.वि.सह. समिति द्वारा की जा रही है।

हैडलिंग/परिवहन एजेन्ट कृषकों, समिति के ग्राहकों, भंडार गृह/समिति के अधिकारियों आदि के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। कृषि जिन्स प्रतिदिन जिस मंडी में खरीद की जावेगी, उसे उसी दिन क.वि. स. समिति के निर्देशानुसार निर्देशित भंडार गृह में जमा करवाना होगा। मंडी में कृषि जिन्सों की खरीद शुरू होते ही संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति के मांग करने पर एक दिन में लेबर की व्यवस्था करनी होगी एवं तीन घंटे में परिवहन की व्यवस्था करनी होगी। इस व्यवस्था में असमर्थ रहने पर समिति द्वारा हैडलिंग/परिवहन एजेन्ट की रिस्क एंड कॉस्ट पर लेबर एवं परिवहन का कार्य करवाया जायेगा। इस हेतु यदि समिति को अधिक भुगतान करना पडता है तो वह भी हैडलिंग/परिवहन एजेन्ट देय राशि में समायोजित कर लिया जायेगा। परिवहन दरें एवं लेबर की दरें

पृथक-2 देनी होगी। परिवहन दरें प्रति 50 किलो तक, स्लेब आधार एवं केन्द्र आधार की दर से तथा लेबर की दरें प्रति कट्टा (50 किलो तक) की देनी होगी।

6— लेबर कार्य में क्रय केन्द्र पर कृषकों द्वारा लाये गये कृषि जिन्स (बोरिया अथवा खुले में) को वाहन से उतारना, छानना, साफ करना, बोरियों में भरना, कांटे पर रखना, कृषि जिन्स से भरी बोरी को स्टेण्डर्ड भर्ती की तोल करना, कांटे से उतारना, बोरियों पर स्वयं के रंग से छापा लगाना, स्वयं की सूतली से 14 से 16 टांको में सीना/मशीन की सिलाई करना, आवश्यकता होने पर अस्थायी स्टेक लगाना, कृषि जिन्स के बोरो को वाहन में लादना, भंडार गृह पर कृषि जिन्स से भरे बोरो को उतारना एवं भंडार गृह में स्टेक लगाना शामिल है।

7— गन्तव्य स्थान पर भंडार गृह में माल जमा करवाकर प्राप्ति रसीद संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति में प्रस्तुत करने के तीन दिवस में बिल का 95 प्रतिशत भुगतान किया जावेगा तथा शेष 5 प्रतिशत भुगतान संतोषजनक रूप से कार्य समाप्त होने के दो माह पश्चात् किया जावेगा।

8— हैडलिंग / परिवहन एजेन्ट को परिवहन किये गये कृषि जिन्स का ट्रांजिट बीमा कराना होगा जिसके लाभार्थी के रूप में एफसीआई/नेफैड/ समिति/राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम का नाम उल्लेखित किया जाये ताकि दावे की राशि संबंधित संस्था को प्राप्त हो सके। ट्रांजिट बीमा के अभाव में यदि परिवहन किये गये कृषि जिन्स में कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की राशि हैडलिंग/परिवहन एजेन्ट को देय राशि में से काट ली जावेगी। मंडी से ट्रक में कृषि जिन्सों को भरकर निर्देशित भंडार गृह में सुरक्षित एवं पूरी मात्रा में पहुँचाने की जिम्मेदारी हैडलिंग/ परिवहन एजेन्ट की होगी।

9— कृषि जिन्सों के सुरक्षित परिवहन के लिए ट्रक पर त्रिपाल , पॉलीथीन एवं उसे बांधने के लिए रस्सी की व्यवस्था हैडलिंग एवं परिवहन एजेन्ट को करनी होगी ताकि कृषि जिन्स किसी भी स्थिति में वर्षा, धूप, मिट्टी, आंधी से खराब न हो। गन्तव्य स्थान पर वजन अथवा बोरियों की संख्या में कमी होने पर लागत दर अथवा उससे दुगनी दर, जो अधिक हो के अनुसार काट ली जावेगी।

10— हैडलिंग/परिवहन एजेन्ट को देय राशि में से आयकर नियमों के प्रावधानों के अनुसार कटौती की जावेगी।

11— क्रय-विक्रय सहकारी समिति/मंडी समितियों/संभावित क्रय केन्द्रों की सूची टेंडर जारी करते समय टेण्डर फार्म के साथ उपलब्ध करायी जावेगी।

12— परिवहन कार्यों के लिए परिवहन की राशि का भुगतान भण्डारगृह में जमा शुद्ध वजन (नेट वजन) के आधार पर देय होगा।

13— निविदा कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त भी यदि वेयर हाउस के भण्डारगृहों में ट्रकों से बोरियों/कट्टों को उतारकर स्टेक लगवाई का कार्य यदि भण्डारगृह द्वारा अपने मजदूरों से करवाया जाता है तो सफल निविदादाता का हैडलिंग कार्य मंडी/खरीद केन्द्र पर होने वाला कार्य ही रहेगा। भण्डारगृह के कार्य का कोई अधिकार / क्लेम / दावा नहीं होगा।

7— अन्य पक्षों के साथ संबंध :-

1. हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट द्वारा अन्य पक्षों के प्रति किये गये किसी भी प्रकार अवहेलना, दोष अथवा चूक के कार्यों अथवा वर्जन (कमीशन) के लिए समिति जिम्मेदार नहीं होगी। समिति के विरुद्ध किसी भी ऐसे दावे की सूरत में समिति को क्षतिपूर्ति के लिए हैंडलिंग /परिवहन एजेन्ट बाध्य होगा।

8— हिसाब एवं निरीक्षण

1. हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट द्वारा सम्पादित कार्य के लिए उसे अनुबंध के अनुसार स्वीकृत दरें देय होगी। जिसके लिए वह समिति में अपना बिल निर्धारित प्रपत्र में समय-समय प्रस्तुत करेगा जिसका भुगतान संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा आवश्यक जांच के बाद 95 प्रतिशत भुगतान कर दिया जावेगा तथा शेष 5 प्रतिशत राशि संतोषप्रद रूप से कार्य समाप्त होने पर संबंधित समिति द्वारा दो माह पश्चात् भुगतान कर दी जावेगी।
2. हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट के लिए यह आवश्यक होगा कि वह समिति के किसी भी अधिकारी के द्वारा उसके द्वारा रखे गये हिसाब से संबंधित प्रपत्रों, लेखों को निरीक्षण हेतु मांगने पर वांछित स्थान पर समय पर उपलब्ध करवाये।

9— जमानत राशि

- 1— जमानत राशि के रूप में हैंडलिंग एवं परिवहन ठेकेदार से प्रत्येक बिल में से 5 प्रतिशत राशि की कटौती की जावेगी।
- 2— जमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 3— यदि निविदादाता निविदा प्रस्तुत करने के बाद अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है अथवा उसकी शर्ता एवं निर्देशों में संशोधन करता है तो नियमानुसार जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 4— निविदा कार्यवाही पूर्ण होने पर समिति को निविदादाता के लिए नियुक्ति हेतु आदेश जारी किया जायेगा। उक्त आदेश जारी होने के पश्चात् समिति के प्रधान व्यवस्थापक द्वारा अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा कृषि जिन्स की खरीद के समय हैंडलिंग व परिवहन संबंधी कार्य आदेश समय-समय पर वर्क स्लीप में लिखित में दिया जावेगा।
- 5— समिति के कार्य क्षेत्र में संतोषजनक रूप से कार्य समाप्त होने के पश्चात् जमानत राशि निविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माह की अवधि में हैंडलिंग एवं परिवहन एजेन्ट को लौटा दी जावेगी।

10— संविदा अवसान/निरस्त करने की शक्तियाँ :-

1. हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट को संबंधित समिति का नाममात्र का सदस्य बनना होगा।
2. यदि समिति यह महसूस करे कि हैंडलिंग/परिवहन एजेन्ट ने अपनी नियुक्ति हेतु दिये प्रार्थना-पत्र में अपनी योग्यता अथवा कोई विवरण गलत दर्शाया है अथवा इस अनुबंध के किसी भी दिशा निर्देश अथवा शर्तों को भंग करता है तो समिति को यह स्वतंत्रता होगी कि वह किसी

क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिये उत्तरदायी होते हुए किसी भी समय एक सप्ताह की सूचना पर हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट की सेवाओं का अवसान अथवा प्रत्यावर्तन कर सकता है।

3. हैंडलिंग/परिवहन एजेन्ट के अनुबंध की सभी अथवा किसी भी दिशा निर्देश एवं शर्त के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने तथा उक्त कार्य क्षेत्र पर कोई अन्य व्यवस्था करने के लिए समिति स्वतंत्र होगा। इस प्रकार से अनुबंध की स्थिति में हैंडलिंग/परिवहन एजेन्ट द्वारा समिति के पास जमा कराये गये जमानत राशि समिति द्वारा जब्त कर ली जावेगी एवं इस प्रकार से अनुबंध के निरस्त होने के कारण समिति को होने वाली सभी क्षति एवं हानियों का भुगतान हैंडलिंग/परिवहन को समिति की मांग पर तुरन्त करना होगा। हानि एवं क्षतियों की राशि जो हैंडलिंग/परिवहन एजेन्ट से वसूल की जानी है, के लिए समिति का निर्णय मान्य होगा।
4. समिति को हैंडलिंग / परिवहन की सेवायें निरस्त (टर्मिनेशन) करने अथवा हैंडलिंग/परिवहन एजेन्ट के दिशा-निर्देशों एवं शर्तों के पालन न करने पर समिति के अनुबंध व नियमों के अन्तर्गत अन्य अधिकारों के बिना किसी प्रभाव के हैंडलिंग/परिवहन एजेन्ट द्वारा जमा करवाये गये जमानत राशि को जब्त करने अथवा समिति की किसी बकाया नुकसान, समिति द्वारा किये गये खर्च अथवा लागत के लिये जमानत राशि को समायोजित करने का अधिकार होगा।
5. यदि जमानत राशि उपरोक्त समायोजन के लिए अपर्याप्त रहती है अथवा जमानत राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जाती है तो हैंडलिंग/परिवहन एजेन्ट से बकाया राशि अथवा उससे कुल वसूल की जाने वाली राशि, जैसा भी हो, उसे किसी भी समय दी जाने वाली धनराशि में से समायोजित कर ली जावेगी। यदि फिर भी हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट द्वारा समिति को देय राशि कम पडती है तो हैंडलिंग/ परिवहन एजेन्ट को समिति को ऐसी बकाया राशि का तुरन्त भुगतान करना होगा अन्यथा समिति को हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट के रूप में इस राशि की वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करने का पूरा अधिकार होगा।

11- असामान्य परिस्थितियाँ :-

इस अनुबंध को किसी संविदा अथवा शर्तों के क्रियान्वित करने अथवा पालन करने में असफलता अथवा चूक के कारण हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट के विरुद्ध कोई दायित्व नहीं होगा यदि वह निम्नांकित में से किसी कारण उत्पन्न होती है जैसे कि किसी मान्यता प्राप्त अथवा वस्तुतः सरकार के राजनैतिक अथवा शासकीय कार्यों, प्राकृतिक अथवा राज्य सरकार के शत्रुओं के कार्य, नागरिक अशान्ति व्यापक रोग, कार्य के बाद हुई दुर्घटना, भूकम्प, आगजनी (सर्विस एजेन्ट की लापरवाही के कारण नहीं) बंदी करना अथवा सरकार की ऐसी सीमा तक पाबंदी अथवा प्रतिबंध जिसके कारण अनुबंध का निष्पादन असंभव हो जाये।

12— अनुबंध की अवधि (पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट)

सामान्यतया: स्वीकृत निविदा की अवधि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए होगी। अधिकृत निविदा समिति के स्वविवेक से पूर्व स्वीकृत दरों एवं शर्तों पर अनुबंध की समाप्ति की तिथि से एक सीजन के लिए बढ़ाई जा सकती है। अनुबंध की बढ़ाई गई अवधि को समिति द्वारा एक सप्ताह की सूचना पर बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकता है और ऐसी सूरत में समिति द्वारा हैंडलिंग एवं परिवहन एजेन्ट को कोई धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में देय नहीं होगी।

13— क्षति और दंड (डेमेजेज एण्ड पेनल्टी)

1— हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट के अनुबंध के दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अनुसार उसको सुपुर्द कार्य करने में असफल रहने अथवा हिसाब में गलत पुष्टियां करने पर समिति को कानूनी दंड न्यायालय में परिवाद करने के अतिरिक्त निर्धारित हानि की पूर्ति (लिक्वीडेटेड डेमेजेज) (दंड रूप में नहीं) जो कि निश्चित समय तक पूर्ण मात्रा में सुपुर्द नहीं किये गये। कृषि जिन्स की लागत के अथवा बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो, से आंकी जावेगी, वसूल करने का अधिकार होगा। यह हानि पूर्ति अनुबंध निरस्त करने के अतिरिक्त अथवा हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट के जोखिम व खर्चों पर पुनः खरीद अथवा अन्य किसी संभव उपायों के होगी।

2. हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट किसी भी हानि की पूर्ति के विरुद्ध समिति को पुनरावेदन (अपील) कार्य करने की दिनांक से 15 दिन की अवधि में जानी चाहिए अन्यथा अपील मान्य नहीं होगी।

14—दंडात्मक कार्यवाही (पेनल एक्शन) :-

1. हैंडलिंग/परिवहन एजेन्ट को समिति द्वारा संभलवाये गये कृषि जिन्स को अवैधानिक रूप से/अनाधिकृत रूप से निवर्तन (डिस्पोजल) करने व काम में लेने पर दंडात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त समिति द्वारा जैसी एवं जो भी कार्यवाही आवश्यक एवं उचित समझी जावे के लिए जिम्मेदार होगा जिसमें ब्लैक लिस्ट करना भी शामिल है।

15— बकाया की वसूली (रिकवरी ऑफ ड्यूज):-

1. इस अनुबंध के अन्तर्गत अथवा इसके आधार पर समिति की सभी बकाया राशियाँ / अन्य राशियाँ हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट से निम्न प्रकार से वसूल की जावेगी :-
(अ) जमानत राशि को जब्त करने अथवा समिति द्वारा हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट को देय अन्य किसी भी राशि का समायोजन करे।
(ब) समिति द्वारा कानूनी कार्यवाही कर हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट चल एवं अचल सम्पत्ति से।
(स) अन्य किसी भी प्रकार से जिसे समिति उचित समझे।

16— समिति की ओर से किये जाने वाले भुगतान :-

1-हैंडलिंग/परिवहन एजेन्ट के द्वारा समिति के दिशा निर्देशों के अनुसार कोई टैक्स, शुल्क, भाडा, चूंगी आदि दी गई है तो उसका पुर्नभरण भुगतान रसीद प्रस्तुत करने पर समितिद्वारा किया जावेगा। हैंडलिंग एवं परिवहन एजेन्ट द्वारा ऐसा भुगतान नहीं करने पर समिति द्वारा 2 प्रतिशत की दर से पेनल्टी वसूली हैंडलिंग/रिवहन एजेन्ट के बिल में कर ली जावेगी।

2- हैंडलिंग/ परिवहन एजेन्ट द्वारा चट्टे लगाये जाते है यदि वह अनुबंध की अवधि में झुक जाते है/गिर जाते है तो हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट को अपने स्वयं के व्यय पर पुनः लगाना होगा।

17- पुनर्भरण एवं पारिश्रमिक :-

1- हैंडलिंग/ परिवहन एजेन्ट को उसके द्वारा किये गये कार्य का बिल संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि से सत्यापित करवाकर संबंधित प्रमाणों सहित संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति में समय-समय प्रस्तुत करने पर पुर्नभरण कर दिया जावेगा।

2. पुनर्भरण के लिए निम्नलिखित पत्रादि संलग्न करने होंगे :-

(अ) खाद्यान्न एवं खाद्य पदार्थों को समिति द्वारा निर्धारित खाद्य निगम /केन्द्रीय /राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एवं राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामा में जमा कराने की गोदाम प्रभारी की हस्ताक्षरों की तकपट्टी या/ एवं वेयर हाउस रसीद।

(ब) माल जमा कराये जाने के प्रमाण स्वरूप वरिष्ठ भंडार प्रबंधक/भंडार प्रबंधकद्वारा जारी तक पट्टी की प्रति।

(स) धर्मकांटे (बेब्रीज) पर तुलाई करवाने/करने पर भुगतान की रसीद।

18- कटौतियाँ :-

1- अगर हैंडलिंग / परिवहन एजेन्टद्वारा कृषि जिन्सों की छनाई का कार्य नहीं किया जाता है तो हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट को दी जाने वाली राशि में से छनाई पर आने वाले वास्तविक व्यय के बराबर राशि काट ली जायेगी तथा नेफैड/ एफ.सी.आई./ राजस्थान राज्य खाद्य निगम के नियमानुसार पेनल्टी भी वसूल की जावेगी।

2- बोरियों पर छापा (स्टेन्सिल) नहीं लगाने पर अथवा अस्पष्ट छापा होने पर वास्तविक खर्च के बराबर राशि काटकर भुगतान किया जायेगा।

3-खाली बोरियां हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट द्वारा वापस न लौटाने की स्थिति में समिति द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर से हैंडलिंग एवं परिवहन एजेन्ट के बिल में से बोरियों की राशि काट ली जावेगी।

4- समिति द्वारा खरीदे गये कृषि जिन्सों के हैंडलिंग / परिवहन के दौरान मात्रा में यदि कोई कमी हुई तो उसकी लागत अथवा दुगुनी दर, जो भी अधिक हो समिति द्वारा निर्धारित की जावेगी, से हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट के बिल में से काट ली जावेगी।

5-क्रय केन्द्र पर समिति का कोई सामान यदि हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट के पास हो तो वह भी उसे कार्य समाप्त होते ही समिति भंडार गृह के पास जमा कराना होगा अन्यथा उक्त सामान की समिति द्वारा निर्धारित कीमत हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट से वसूल करने के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही करने का समिति को अधिकार होगा।

6— बोरियों/कट्टों को हैंडलिंग/परिवहन करते समय हुक्स (कांटा) का प्रयोग नहीं किया जायेगा। यदि हुक्स (कांटा) का प्रयोग किया गया तो 20 (बीस) पैसे प्रति नग तथा माल की क्षति होने पर एंव खाली कटो/बोरी के नुकसान होने की स्थिति में वास्तविक मूल्य की दुगुनी राशि काट ली जावेगी।

7—यदि हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट द्वारा निर्धारित कार्यों में से किसी अंश का कार्य नहीं किया गया तो समिति को यह अधिकार होगा कि वह नहीं किये गये कार्य के लिए निविदा प्रपत्र में अंकित प्रस्तावित दरों अथवा वास्तविक लागत से कटौती करे।

8— समिति के निर्देशानुसार निर्धारित मापदंडों के अनुसार (14-16) टांके नहीं लगाने पर 25 (पच्चीस) पैसे प्रति बोरी (35 किलो तक भर्ती के लिए) की दर से अथवा वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो, कटौती की जावेगी।

9— हैंडलिंग/परिवहन एजेन्ट के बिलों में से आयकर नियमों के अन्तर्गत निर्धारित दर से आयकर की कटौती की जावेगी।

10— सरकार द्वारा नियमों के अधीन समिति से वसूल किये जाने वाले सर्विस चार्ज/जीएसटी व अन्य टैक्स/प्रभार इत्यादि जो हैंडलिंग / परिवहन के कार्य से संबंधित है, की वसूली हैंडलिंग एवं एजेन्ट से निर्धारित दरों से उसके हैंडलिंग एवं ट्रॉस्पॉर्टेशन के बिलों में समितिद्वारा की जावेगी।

11. मंडी समिति के नियमानुसार कृषि जिन्स को मंडी में लाने के पश्चात् वहाँ से उतारना, छानना, बोरी/कट्टे में भरना तथा कांटे पर रखने का कार्य किसान को स्वयं करना होता है, परन्तु यदि यह कार्य समिति द्वारा नियुक्त हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट के माध्यम से कराया जाता है तो उसका पारिश्रमिक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड / मंडी समिति द्वारा निर्धारित दरों से कृषि जिन्स की कीमत में से काटा जायेगा।

12. बोरियों कट्टों की सिलाई स्टिचिंग मशीन से करने पर विद्युत की व्यवस्था, स्टिचिंग मशीन का हैंडलिंग / परिवहन एजेन्ट को स्वयं प्रबंध करना होगा जिसके लिए समिति द्वारा निर्धारित दर के अतिरिक्त पृथक से और कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

19—आरबीट्रेडेशन

1. सभी विवाद एवं मतभेद, जो इस अनुबंध में किसी भी तरह उत्पन्न हुए हो, उनका समाधान आरबीट्रेडेशन द्वारा किया जावेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा समिति को 15 दिवस में अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। समिति द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को समान रूप से मान्य होगा।

20— न्याय क्षेत्र:-

1— अपीलकर्ता हैंडलिंग एवं परिवहन एजेन्ट यदि समिति के निर्णय से सहमत नहीं होता है तो रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, जयपुर की अदालत में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रकरण पंच निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो अन्तिम होगा।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०
जिला -

समर्थन मूल्य पर सरसों/चना खरीद के हैंडलिंग/परिवहन हेतु ई निविदा प्रपत्र
(समिति —————)

टेण्डर प्रपत्र विक्रय मूल्य 500 रु. (पॉच सौ रूपये)

क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०
जिला -

टेलीफोन नं. _____
फैक्स नं. _____
ई मेल _____

सूची

क्र.सं.	विवरण	पेज संख्या
1	वित्तीय एवं तकनीकी बिड हेतु चैक लिस्ट	
2	निविदा पत्र भरने के दिशा निर्देश	
3	परिवहन कार्य हेतु प्रार्थना पत्र	
4	निविदादाता द्वारा घोषणा संलग्न प्रपत्र अनुसार	
5	अनुबन्ध पत्र संलग्न प्रपत्र अनुसार	
6	ब्लेक लिस्ट के सम्बन्ध में घोषणा पत्र संलग्न प्रपत्र ए अनुसार	
7	योग्यता सम्बन्धी घोषणा पत्र संलग्न प्रपत्र बी अनुसार	
8	परिवहन दरे भरने का प्रपत्र	
9	खरीद केन्द्रों की सूची	

क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०
जिला -

फोन नं. -----

हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की निविदा हेतु चैक लिस्ट
(वित्तीय एवं तकनीकी बिड हेतु)

कार्य का नाम : वर्ष 2018-2019 में समर्थन मूल्य पर सरसों/चना खरीद के लिए हैण्डलिंग /परिवहन का कार्य करने बाबत।

नियोक्ता का नाम : क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०..... जिला-.....।

1- बोली / कार्य का विस्तृत विवरण :

जिले की क्रय विक्रय सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर सरसों/चना खरीद कार्य अन्तर्गत विभिन्न खरीद केन्द्रों पर हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य करने बाबत।

क्र.सं.	मद	विवरण
1	कार्य की अनुमानित लागत	मण्डी क्षेत्र/गोण मण्डी हेतु 25.00 लाख रूपये
2	बोली प्रतिभूति राशि	मण्डी क्षेत्र के केन्द्र एवं गोण मण्डी हेतु 50000/- रु. (अखरे पचास हजार रु.)
3	अनुमानित सरसो/चना खरीद की मात्रा	2.00 लाख मैट्रिक टन
4	कार्यावधि	एक वर्ष
5	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	दिनांक 19.03.2018 समय 10.00बजे
6	तकनीकी /वित्तीय बिड हेतु आवश्यक दस्तावेज	तकनीकी बिड हेतु - 1- परिवहन/हैण्डलिंग कार्य का एक वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र। 2- पेन कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जावे।

		<p>3- 100.00 रू. के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुसार घोषणा पत्र</p> <p>4- ब्लेक लिस्टेड बाबत घोषणा पत्र</p> <p>5- योग्यता सम्बन्धी घोषणा पत्र</p> <p>6- यदि परिवहनकर्ता / हैण्डलिंग एजेन्ट पार्टनरशिप फर्म है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस में रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि ।</p> <p>7- अमानत राशि के ड्राफ्ट / बैंकर चैक की स्केन प्रति ।</p> <p>8- निविदा प्रोसेसिंग फीस राशि 1000.00 रू. का डिमाण्ड ड्राफ्ट M.D. RISL Payable at Jaipur के नाम से देय ड्राफ्ट की स्केन प्रति ।</p> <p>वित्तीय बिड हेतु –</p> <p>1- हैण्डलिंग एवं परिवहन की प्रस्तावित दर का विवरण ।</p>
7	तकनीकी / वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	<p>तकनीकी बिड हेतु दिनांक 26.03.2018 समय 01.00 बजे</p> <p>वित्तीय बिड हेतु दिनांक 29.03.2018 समय 10.00 बजे</p>
8	तकनीकी / वित्तीय बिड खोलने का स्थान	संभाग के जिलों के उप पंजीयक / सहायक पंजीयक सहकारी समितियाँ कार्यालय
9	वित्तीय बिड हेतु आवश्यक दस्तावेज	1- हैण्डलिंग एवं परिवहन की प्रस्तावित दर का विवरण ।
10	कार्यादेश जारी करने का सम्भावित माह	अप्रैल 2018
11	बोली की वैधता	एक माह

निविदादाताओं के लिए ई निविदा अन्तर्गत निविदा प्रपत्र भरने से सम्बन्धित

आवश्यक दिशा निर्देश

- 1- सर्वप्रथम निविदादाता को ई निविदा में भाग लेने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने होंगे।
 - 2- निविदा के साथ निर्धारित बयाना राशि परिवहन/हैण्डलिंग कार्य के लिए मण्डी क्षेत्र के केन्द्र एवं गोण मण्डी हेतु 50000/- रु. (अखरे पचास हजार रु.) प्रति समिति की दर से डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/नकद राशि के रूप में संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति के पक्ष में जमा करानी आवश्यक है एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट /बैंकर चैक/नकद राशि के पुष्टि हेतु स्कैन प्रति भी तकनीकी निविदा के साथ अपलोड की जानी होगी। यदि तकनीकी निविदा के साथ निर्धारित बयाना राशि प्राप्त नहीं होगी तो उस पर विचार नहीं किया जावेगा।
 - 3- प्रत्येक निविदादाता को निविदा भरने के लिए निविदा प्रोसेसिंग फीस राशि 1000.00 रु. का डिमाण्ड ड्राफ्ट M.D. RISL Payable at Jaipur के नाम से संलग्न करना होगा एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट की पुष्टि हेतु स्कैन प्रति भी तकनीकी निविदा के साथ अपलोड की जानी होगी।
 - 4- निविदादाता द्वारा अपनी निविदा टू बिड प्रणाली अन्तर्गत क्रमशः तकनीकी एवं वित्तीय बिड पृथक-पृथक राज्य सरकार की वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर निर्धारित दिनांक एवं समयानुसार समस्त दस्तावेजों सहित अपलोड करने होंगे।
 - 5- निविदादाता द्वारा अपनी निविदा ई टेण्डर द्वारा भरी जानी होगी जिसके साथ निम्न वर्णित दस्तावेज संलग्न किये जाने होंगे एवं संलग्न निर्धारित प्रपत्र में परिवहन /हैण्डलिंग की दरें दी जानी होगी :-
तकनीकी बिड हेतु –
 - 1- परिवहन/हैण्डलिंग कार्य का एक वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र।
 - 2- पेन कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जावे।
 - 3- 100.00 रु. के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुसार घोषणा पत्र
 - 4- ब्लेक लिस्टेड बाबत घोषणा पत्र प्रपत्र ए अनुसार ।
 - 5- योग्यता सम्बन्धी घोषणा पत्र प्रपत्र बी अनुसार।
 - 6- यदि परिवहनकर्ता/हैण्डलिंग एजेन्ट पार्टनरशिप फर्म है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस में रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि ।
 - 7- निविदा के साथ निर्धारित बयाना राशि परिवहन/हैण्डलिंग कार्य के लिए मण्डी क्षेत्र के केन्द्र एवं गोण मण्डी हेतु 50000/- रु. (अखरे पचास हजार रु.) का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक / नकद जमा की रसीद।
 - 8- निविदा प्रोसेसिंग फीस राशि 1000.00 रु. का डिमाण्ड ड्राफ्ट M.D. RISL Payable at Jaipur के नाम से देय ड्राफ्ट की स्कैन प्रति।
- वित्तीय बिड हेतु –
- 1- हैण्डलिंग एवं परिवहन की प्रस्तावित दर का विवरण।
 - 6- निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट sppp.raj.nic.in पर उपलब्ध है।

हैण्डलिंग/परिवहन कार्य हेतु निविदा प्रार्थना पत्र

निविदादाता :-

निविदा वर्ष 2018-2019

मैसर्स/श्री

रसीद क्रमांक

दिनांक -----

राशि 500/- (पाँच सौ रुपये)

सेवामें,
व्यवस्थापक,
क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०
जिला-----

महोदय,

मैं/हम ट्रॉसपोर्टेशन कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत करता हूँ/करते है। मैंने/हमने इस निविदा हेतु समिति द्वारा जारी किया गया आमंत्रण पत्र, दिशा-निर्देश एवं शर्तें (टर्म्स एंड कंडीशनस) को पढ व समझ लिया/लिये है। मैं/हम इस सभी दस्तावेजों की शर्तों को मानने के लिए बाध्य हूँ/है। मैं/हम समिति के ट्रॉसपोर्टेशन हेतु जिले का नाम ----- के लिए समितिवार दरें प्रस्तुत करता हूँ /करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(हैण्डलिंग/परिवहन एजेन्ट)

हैण्डलिंग / परिवहन निविदादाता का विवरण

1-कारोबार का नाम :-

1- यदि निविदादाता एकाकी स्वामी(सोल
प्रोपराईटर है तो स्वामी का नाम (पिता
के नाम सहित)

2- यदि निविदादाता अविभक्त हिन्दू परिवार है तो
परिवार के कर्ता का नाम :-

2-यदि निविदादाता भागीदारी संस्था (पार्टनरशीप फर्म) है तो :

(अ) फर्म का नाम

(ब) रजिस्ट्रेशन का पूरा नाम

(स) भागीदारों के नाम,पते व उनकी अंश मात्रा

(एक्सटेन्ट ऑफ शेयर) सहित :-

(भागीदारी के दस्तावेज,पार्टनशिप डीड की

फोटो स्टेट प्रतिलिपि संलग्न करें।

3-यदि निविदादाता सहकारी संस्था है तो सहकारी संस्था के संचालक

मण्डल के संचालकों या प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम :

पंजीयन के प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की

प्रतिलिपि तथा इस कार्य के करने के अधिकार हेतु इस समिति

के प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न की जावे :-

4- स्थानीय प्रता :-

1- डाक का पूरा पता

2- तार का पता

3- दूरभाष/मोबाईल संख्या (कार्यालय)

(निवास)

एस.टी.डी. (कोड सहित)

5- (अ) आयकर स्थाई खाता संख्या (PAN NO.)

(पैन नम्बर की छाया प्रति संलग्न की जाए)

(ब) सेवाकर पंजीयन संख्या

(सेवाकर पंजीयन संख्या की छाया प्रति संलग्न की जाए

(स) भविष्य निधि (PF.) रजिस्ट्रेशन नं.

(छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

6- बयाना राशि ----- का ड्राफ्ट/बैंकर चैक/ नकद जमा राशि की रसीद नम्बर-----दिनांक----- संलग्न है।

नोट :- 1- आप पर जो मद लागू हो, उस पर सही (✓)का चिन्ह लगाकर दरें अंकित कर अपने हस्ताक्षर कर दे और जो लागू नहीं होती हों उसे काट (X) दे।

2- बयाना राशि रू. प्रति क्रय विक्रय सहकारी समिति अनुसार देनी होगी।

हैण्डलिंग/परिवहन निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता द्वारा घोषणा

(1) मैं / हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि जिस केन्द्र के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उस केन्द्र पर मेरा/हमारा कारोबार होने के प्रमाणस्वरूप 100/- रु. नॉन ज्यूडिशियल पेपर पर निम्नांकित प्रारूप में निविदा के साथ संलग्न करता हूँ/करते हैं :-

प्रारूप हलफनामा :-

मैं/हम ----- पुत्र श्री -----
निवास ----- मोहल्ला -----
तहसील ----- ----- जिला -----

सशपथ घोषणा करता हूँ/करते हैं कि :-

1- यह कि मैं/हम/फर्म ----- के नाम से
----- (स्थान) पर
कारोबार का नाम) ----- का कारोबार करता
हूँ/करते हैं। मेरा/हमारा इससे संबंधित कार्यालय वर्तमान में (पता) -----
----- पर स्थित है।

2- मैं/हम/मेरी/हमारी/संस्था/फर्म में ----- का
मालिक/पार्टनर/कर्ता हूँ/है।

नाम घोषणाकर्ता मय पता

Annexure - A : Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in procurement process shall –

- a. not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- g. disclose conflict of interest, if any; and
- h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. Have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid with result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:
Place:

Signature of Bidder

Name -----

Designation-----

Address -----

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to KVSS For for services of Handling / Transportation in response to their Notice Inviting Bids No..... dated..... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay any such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons “.
4. I/We do not have, and our Directors and Officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three year preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which, materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of Bidder
Name -----
Designation-----
Address -----

..... कय विक्रय सहकारी समिति लि. ----- में परिवहन कार्य के लिए प्रस्तावित दरें
(निविदा की निबन्धन एवं शर्तों के अधीन)
हैण्डलिंग/ परिवहन कार्य की प्रस्तावित दरें

(ब) परिवहन कार्य हेतु दरें

क्रमांक	दूरी	आधार दर प्रति क्विंटल (अंकों में) रू. पैसे	(शब्दों में)
1	0 से 5 कि.मी. तक	16.00 रू.	सोलह रूपये
2	6 से 15 कि.मी. तक	9.85 रू.	नौ रूपये पिचासी पैसे
3	6 से 75 कि.मी. तक	0.31 प्रति क्विंटल प्रति कि.मी	ईगतीस पैसा प्रति क्विं. प्रति कि.मी
4	76 कि.मी. से अधिक	0.23 प्रति क्विंटल प्रति कि.मी	तेईस पैसा प्रति क्विं. प्रति कि.मी

आधार दर खाध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 40(0)खा.ले./ नीति/2014 दिनांक 02.05.17 में वर्णित दरों के अनुसार।

1	निर्धारित आधार दरों से कम पर कार्य करना चाहता हूँ	(-)	अंकों में शब्दों में	% प्रतिशत
2	निर्धारित आधार दरों पर ही कार्य करना चाहता हूँ।	(=)		समान दर
3	निर्धारित आधार दरों से अधिक पर कार्य करना चाहता हूँ।	(+)	अंकों में शब्दों में	% प्रतिशत

नोट :

- 1- ट्रक यूनियन दर मान्य नहीं होगी।
- 2- आप पर जो मद लागू हो, उस पर सही (√) का चिन्ह लगाकर, प्रतिशत में दरें अंकित कर, अपने हस्ताक्षर कर दे और जो मद लागू नहीं होती है, उसे (X) दे।
- 3- जितनी दूरी के लिए परिवहन का कार्य किया गया है इस दूरी का प्रमाण पत्र परिवहन अधिकारी /नगर परिषद/तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी/सहायक अभियन्ता (सार्वजनिक निर्माण विभाग)/जिला रसद अधिकारी/से प्राप्त कर बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।

निविदादाता के नाम व हस्ताक्षर

..... कृषि विक्रय सहकारी समिति लि. ----- में परिवहन कार्य के लिए प्रस्तावित दरें
(निविदा की निबन्धन एवं शर्तों के अधीन)
हैण्डलिंग कार्य की प्रस्तावित दरें

(स) हैण्डलिंग कार्य हेतु दरें
(क) (निर्धारित दरें)

क्रमांक	कार्य विवरण	दर
1	कृषक की गाडी / ट्रक / ट्राली से बोरी/कट्टा की उतरवाई, छनाई, भराई, काँटे लगाई आदि तक की मजदूरी जो मण्डी नियमानुसार किसान द्वारा भुगतान की जानी है।	कृषि उपज मंडी द्वारा निर्धारित दर लागू होगी।
2	रंग मार्का, सूतली	1.25 प्रति बोरी/कट्टा

(ख) निविदा हेतु आधार दरें :-

क्रमांक	कार्य विवरण	दर
1.	तुलाई,	0.25 पैसे प्रति सैकडा
2.	कट्टो को काटे से उतरवाई, सिलाई कर, वाहन में लादाना	9.00 रु प्रति बोरी/कट्टा
3.	बारदाना की गांठ की उतरवाई/लदाई	50.00 रु प्रति गांठ

*आवश्यकतानुसार लागू होंगे

1	निर्धारित आधार दरों से कम पर कार्य करना चाहता हूँ	(-)	अंकों में शब्दों में	% प्रतिशत
2	निर्धारित आधार दरों पर ही कार्य करना चाहता हूँ।	(=)		समान दर
3	निर्धारित आधार दरों से अधिक पर कार्य करना चाहता हूँ।	(+)	अंकों में शब्दों में	% प्रतिशत

निविदादाता के नाम व हस्ताक्षर

अनुबन्ध-पत्र (परिवहन कार्य हेतु)

कय विक्रय सहकारी समिति लि. ----- तथा मैसर्स ----- जिसे आगे ट्रांसपोर्टर कहा गया है के मध्य अनुबंध दिनांक -----को सम्पन्न हुआ।

- 1- यह है कि कय विक्रय सहकारी समिति ----- की मांग के अनुसार स्थान/स्थानों से ट्रांसपोर्ट करके राज्य के विभिन्न स्थानों के लिए भिजवाना चाहता है एवं ट्रांसपोर्टर इस कार्य को सम्पादित करने के लिए सहमत है।
- 2- ग्रेंहूँ राजस्थान राज्य के भण्डारग्रहों/गोदामों -----के विभिन्न स्थानों /गन्तव्य स्थान(डेस्टीनेशन) तक पहुँचाना होगा।
- 3- परिवहन की राज्य के विभिन्न जिलों में निम्नानुसार परिवहन हेतु वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत दर समिति के स्वीकृति पत्र दिनांक ----- अनुसार निम्न होगी:-

क्र.सं. जिले का नाम स्वीकृत दर रुपये में

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 4- अनुबन्ध सम्पादित होने पर तुरन्त कार्य प्रारम्भ करना होगा। तथा वांछित संख्या में ट्रक उपलब्ध कराने होंगे। निर्धारित स्थानों पर निर्धारित समय में पहुँचाना अनिवार्य होगा। आदेश तिथि से दो दिवस में ट्रांसपोर्ट कार्य नहीं करने पर समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि ट्रांसपोर्टर की रिस्क एवं कोस्ट पर किसी भी अन्य फर्म /ट्रांसपोर्टर से प्रचलित दरों पर कार्य करवा लिया जावेगा तथा अतिरिक्त व्यय की राशि अनुबंधित ट्रांसपोर्टर से उसके बिलो या अमानत राशि या अन्य किसी भी प्रकार से देय राशि में से वसूल की जावेगी।
- 5- किराये का 95 प्रतिशत भुगतान, ट्रांसपोर्टर को संबंधित वेयरहाउस की प्राप्त रसीद प्रस्तुत करने पर संबंधित समिति द्वारा किया जावेगा एवं शेष 5 प्रतिशत समिति के पास धरोहर राशि के रूप में जमा रहेगा, जिसका भुगतान सम्पूर्ण कार्य संतोषप्रद समाप्त होने के दो माह पश्चात् किया जाएगा एवं उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 6- परिवहनकर्ता के बिलों से निर्धारित दर पर आयकर की कटौति (नियमानुसार) की जावेगी।
- 7- सरसों/चना पहुँच में यदि कोई छीजत होती है या कोई ट्रक गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँचता है तो उसकी राशि समिति को ट्रांसपोर्टर के ट्रांसपोर्टेशन के बिलों एवं जमा सिक्वोरिटी राशि में से कम करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 8- बिल में वहीं दरें अंकित की जावेगी जो कार्यादेश में अंकित होगी। इसके अलावा किसी प्रकार के अन्य चार्जज सम्मिलित नहीं किये जावेंगे।

- 9— यदि ट्रांसपोर्टर द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ नहीं किया गया एवं वांछित मात्रा में ट्रक उपलब्ध नहीं करवाये गये तो ट्रांसपोर्टर की जमा अर्नेस्ट मनी जब्त करने का समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
- 10— परिवहन की दरें अनुबन्ध दिनांक से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी।
- 11— माल की चूँगी/टोल टैक्स/बहती आदि का पूर्ण खर्च परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।
- 12— किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर प्रबन्धक समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र ----- रहेगा।

हस्ताक्षर,
वास्ते मैसर्स-----,

प्रबन्धक
क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. -----

निविदादाता द्वारा घोषणा

(1) मैं / हम घोषणा करता हूँ/करते है कि जिस केन्द्र के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उस केन्द्र पर मेरा/हमारा कारोबार होने के प्रमाणस्वरूप 100/- रु. नॉन ज्यूडिशियल पेपर पर निम्नांकित प्रारूप में निविदा के साथ संलग्न करता हूँ/करते है :-

प्रारूप हलफनामा :- मैं/हम _____ निवास _____ तहसील
_____ पुत्र श्री _____ मोहल्ला
_____ जिला _____

सशपथ घोषणा करता हूँ/करते है कि :-

1- यह कि मैं/हम/फर्म _____ के नाम से
_____ (स्थान) पर
कारोबार का नाम) _____ का कारोबार करता
हूँ/करते है। मेरा/हमारा इससे संबंधित कार्यालय वर्तमान में (पता) _____
_____ पर स्थित है।

2- मैं/हम/मेरी/हमारी/संस्था/फर्म में _____ का
मालिक/पार्टनर/कर्ता हूँ/है।

नाम घोषणाकर्ता मय पता

100.00 रू. नोन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर

अनुबन्ध-पत्र (हैण्डलिंग कार्य हेतु)

क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. ----- जो कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ की सदस्य है तथा मैसर्स ----- जिसे आगे हैण्डलिंग एजेन्ट कहा गया है के मध्य अनुबंध दिनांक -----को सम्पन्न हुआ।

- 1- यह है कि क्रय विक्रय सहकारी समिति ----- के निर्देशानुसार हैण्डलिंग कार्य करना चाहता हूँ
- 2- समिति को उसके कार्यक्षेत्र में आवंटित केन्द्रों ----- पर हैण्डलिंग कार्य करना होगा।
- 3- हैण्डलिंग कार्य की राज्य के विभिन्न जिलों में वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत दर समिति के स्वीकृति पत्र दिनांक ----- अनुसार निम्न होगी :-

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वीकृत दर रूपये में
1-		
2-		
3-		
4-		
4-	अनुबन्ध सम्पादित होने पर तुरन्त कार्य प्रारम्भ करना होगा।वांछित मात्रा में मजदूर उपलब्ध करवाने होंगे।निर्देशानुसार हैण्डलिंग का कार्य नहीं करने एवं प्रतिदिन तौले हुये माल को कट्टों में नहीं भरने एवं लोडिंग कार्य नहीं करने पर समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि हैण्डलिंग एजेन्ट की रिस्क एवं कोस्ट पर किसी भी अन्य फर्म से प्रचलित दरों पर कार्य करवा लिया जावेगा तथा अतिरिक्त व्यय की राशि अनुबंधित एजेन्ट से उसके बिलो या अमानत राशि या अन्य किसी भी प्रकार से देय राशि में से वसूल की जावेगी।	
5-	बिल का 95 प्रतिशत भुगतान, हैण्डलिंग एजेन्ट को समिति द्वारा एक माह में किया जावेगा एवं शेष 5 प्रतिशत समिति के पास धरोहर राशि के रूप में जमा रहेगा,जिसका भुगतान सम्पूर्ण कार्य संतोषप्रद समाप्त होने के दो माह पश्चात् किया जाएगा एवं उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।	
6-	हैण्डलिंग एजेन्ट के बिलों से निर्धारित दर पर आयकर/राजकीय करों की कटौति (नियमानुसार) की जावेगी।	
7-	कृषि जिन्सों के हैण्डलिंग कार्य में यदि कोई छीजत होती है तो उसकी राशि समिति को हैण्डलिंग एजेन्ट के बिलों एवं जमा सिक्क्योरिटी राशि में से कम करने का पूर्ण अधिकार होगा।	
8-	बिल में वहीं दरें अंकित की जावेगी जो कार्यादेश में अंकित होगी। इसके अलावा किसी प्रकार के अन्य चार्जज सम्मिलित नहीं किये जावेगें।	

- 9— यदि हैण्डलिंग एजेन्ट द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ नहीं किया गया, हैण्डलिंग एजेन्ट की जमा अर्नेस्ट मनी जब्त करने का समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
- 10— हैण्डलिंग कार्य की दरें अनुबन्ध दिनांक से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी।
- 11— किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर प्रबन्धक समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र ----- रहेगा।

हस्ताक्षर,
वास्ते मैसर्स-----,

प्रबन्धक
कय विक्रय सहकारी समिति लि.-----